

ANTI RAGGING CAMPAIGN ON 11.07.2022

ORGANISED BY INTERNAL COMPLAINTS CELL

S.D. WOMEN'S COLLEGE, RAJGANGPUR



**SARBATI DEVI WOMEN'S COLLEGE  
RAJGANGPUR**

**ANTI-RAGGING CELL**

**Ragging Free Campus**

**WARNING**  
Ragging is Prohibited

**S.D. WOMEN'S COLLEGE  
RAJGANGPUR, SUNDARGARH**

**SAY NO TO RAGGING**

**BEFORE YOU EVEN THINK OF RAGGING**

Download **ANTI RAGGING** App



**THINK OF**

- Humiliation
- Suspension
- Ruined Career
- Blacklisting
- Expulsion
- Possible Prosecution

**Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character**

*Remember RAGGING is for LOSERS*

Visit UGC Website i.e. [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) & [www.anti-ragging.in](http://www.anti-ragging.in) to see UGC Anti Ragging regulations.  
Are You Being Ragged?  
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline - 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)  
Or Send an E-mail to [helpline@anti-ragging.in](mailto:helpline@anti-ragging.in)

**S.D. WOMEN'S COLLEGE  
RAJGANGPUR, SUNDARGARH**

**PROHIBITION OF RAGGING  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Act 26 of 1997

**SALIENT FEATURES**

- \* Ragging within or outside any Educational Institution is prohibited
- \* Ragging means doing an Act which causes or is likely to cause insult or annoyance or fear or apprehension or threat or intimidation or outrage of modesty or injury to a Student.

NATURE OF RAGGING	PUNISHMENT
1. Teasing, Embarrassing and humiliating	Imprisonment upto 6 months or fine upto Rs.1,000/- or Both
2. Assaulting or using criminal force or criminal intimidation.	Imprisonment upto 1 year or fine upto Rs.2,000/- or both
3. Wrongfully restraining or confining or causing hurt.	Imprisonment upto 2 years or fine upto Rs.5,000/- or both
4. Causing grievous hurt, Kidnapping or rape or committing unnatural offence.	Imprisonment upto 5 years or fine upto Rs.10,000/-
5. Causing death or abetting suicide.	Imprisonment upto 10 years or fine upto Rs.50,000/-

**Note:**

1. A student convicted of any of the above offences, will be expelled from the college.
2. A student imprisoned for more than six months for any of the above offences will not be admitted in any other college.
3. A student whom there is prima facie evidence of ragging in any form will be suspended from the college immediately.

**S.D. WOMEN'S COLLEGE  
RAJGANGPUR, SUNDARGARH**

Anti-Ragging Helpline: 0863-2344700 - Ext - 153 | 9347162038

Say No to **RAGGING**

**Don't Support RAGGING But Report**

**JOIN HANDS TO MAKE CAMPUS RAGGING FREE**



- Cancellation of Degree
- Suspension
- Expulsion
- Withholding of Results
- Rustication
- Debarring
- Prosecution for Criminal Act

**S.D. WOMEN'S COLLEGE  
RAJGANGPUR, SUNDARGARH**



# ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଡି ରାଟିଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ୧୧।୬ (ଡି.ଏଚ୍.ଏ.):  
ପୁରୀର ଡିଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର  
ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଦେବୀ  
ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର  
ଆଣ୍ଡି ରାଟିଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ  
ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ  
ଅତିଥି ତଥା ବକ୍ତା ଭାବରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର  
ଏସ୍.ଟି.ପି.ଟି ଡା. ଶଶୀକାନ୍ତ ଶେଖର ଦେହୁରା  
ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ  
ଦେଇ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କାହାକୁ କେତେ  
ଦୟା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦେବୀ ଉଚିତ ନୁହେଁ।  
ଏହିପରି ଭାଗଦାୟ ସମିଧାନରେ ନିଗମିତ  
ଅଧିକାର ତଥା ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେ  
ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା  
କୁସୁମ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଡାକ୍ତର ଶରଣା କିଶୋରୀ  
ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଏକ ପରିବାର ଓ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ  
ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମତ ରଖିଥିଲେ।

## ସରକାରୀ ଦେବୀ କଲେଜରେ ଆଣ୍ଡି ରାଟିଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ୧୧।୬ (ନି. ପ୍ର.): ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ  
ସରକାରୀ ଦେବୀ ମହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଣ୍ଡି ରାଟିଂ  
ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।  
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ  
ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ  
ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏସ୍.ଟି.ପି.ଟି ଡା. ଶଶୀକାନ୍ତ  
ଶେଖର ଦେହୁରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆରମ୍ଭରେ  
ଅଧ୍ୟାପିକା କୁସୁମ ବୁଡ଼ୁ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା  
ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା  
କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ହେଉଥିବା  
ରାଟିଂର କୁପ୍ରଭାବ କିପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଛାଡ଼ି କ  
ଉପରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।  
ଅଧ୍ୟାପିକା ସରଣା କିଶୋରୀ କଲେଜକୁ ପରିବାର ସହିତ  
ତୁଳନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।



## सरबती देवी महिला महाविद्यालय परिसर मे 'रैगिंग के विरोध' कार्यक्रम का आयोजन



राजगांगपुर:जिले के राजगांगपुर स्थित सरबतीदेवी महिला महाविद्यालय परिसर में 'रैगिंग के विरोध' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम सरबती महिला विद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर बिपिन चौधरी की अध्यक्षता में की गई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एसडीपीओ डाक्टर शशांक शेखर बेउरा उपस्थित रहे उक्त कार्यक्रम के दौरान एसडीपीओ डाक्टर शशांक शेखर बेउरा ने महाविद्यालय के छात्राओं को 'रैगिंग के विरोध' ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हुए रैगिंग के विरोध के बनी नियम अधिनियम और उनके दंड विधान के बारे में अपना वक्तव्य रखा। महाविद्यालय के सभी छात्राओं को यानी अग्रज छात्रा या कनिष्ठ छात्रा को आपस में भाईचारा, सद्भावना के साथ जीने के लिए उपदेश दिए उसके तत्पश्चात अपनी विडंबना या अन्याय अत्यचार के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। गौरतलब है की इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संविधान मे लिप्त नागरिकों के अधिकार व दंडविधान के बारे मे जानकारी प्रदान करना था। उक्त कार्यक्रम के दौरान सरबती देवी महिला महाविद्यालय के सभी अध्यापक, अध्यापिका, पुष्पलता सारंगी एवं छात्राओं ने उपस्थित थे कार्यक्रम के निष्कर्ष में ओडिआ विभाग के अध्यपिका डॉ. सरिता किंडो ने कार्यक्रम मे उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा की महाविद्यालय एक परिवार के सदृश्य है यहा पर बड़ी बहने छोटे बहने को किसी भी प्रकार से हैरान परेशान न कर आपस मे मिलजुल कर स्नेह प्रेम के साथ मिलजुल कर रहने का उपदेश दिए उसके बाद कार्यक्रम मे उपस्थित सभी को धन्यवाद देते हुए सभा का समापन किया।

उम्मीदों की नई सुबह

आम आदमी के साथ

# उत्कलमेल



एनडीए की राष्ट्रीय पत्र की उत्कलमेल कार्यक्रम के दौरान राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकान्त भद्रवदर (आर) और पार्टी नेता सुचंद्र अधिकारी से ब्लॉक मुख्यालय प्राप्त हुआ।

राजकेला, बुधवार 13 जुलाई 2022 वर्ष : 27 अंक: 186 RNI No. 66188/96 "Registered" OR/RKL-06/2021-23 मूल्य रु. 3.00 पृष्ठ -8 Website: www.utkalmaliv.com

## सरबती देवी महिला कालेज में एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम

### प्रतिनिधि

राजगांगपुर : राजगांगपुर स्थित सरबती देवी महिला विद्यालय में एंटी रैगिंग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम महाविद्यालय के अध्यक्ष विपीन चौधरी के तत्वावधान में आयोजित हुआ. इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राजगांगपुर एसडीपीओ शशांक शेखर बेउरा योगदान दिये. महाविद्यालय के इंटरनल कंप्लेन कमेटी के सदस्य कुसुम बुड ने अतिथियों का परिचय प्रदान कराया.

इसमें महाविद्यालय के अध्यक्ष ने एंटी रैगिंग पर अपने विचार व्यक्त किये. मुख्य वक्ता डाक्टर बेउरा ने महाविद्यालय की छात्राओं को एंटी रैगिंग के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 29 में राइट टू लाईफ आफ लिबर्टी का पालन करना सभी को जरूरी है. इस लिए किसी भी व्यक्ति को कष्ट देना या प्रताड़ित करना सही नहीं है. आत्महत्या एक अपराध है. आत्महत्या करने वाला और इसके लिए उकसाने वाला व्यक्ति भी दोषी है. भारतीय संविधान में



स्थित दंड विधान पर उन्होंने प्रकाशडाला. अंत में ओड़िया साहित्य विभाग के प्रमुख डाक्टर सरिता किंडो ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए. उनकी भूल को सुधारना चाहिए.

## बोकारो की खबरें

### जिला प्रशासन और उगम एजुकेशन फाउंडेशन की बीच हुआ एमओयू



बोकारो-कस्तूरबा गांधी आयुक्त (डीडीसी) श्रीमती कीर्तीश्री के कई जिलों (हजारीबाग, पूर्वी बालिका विद्यालय (केजीवीवी) और जी. ने कहा कि इस एमओयू के सिंहभूम, रामगढ़, रांची आदि) में